न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 78/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 31.8.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. गोविन्द प्रसाद आत्मज सीताराम कुम्हार
2. हरिओम आत्मज राधेश्याम कुम्हार
3. राधेश्याम आत्मज ग्यारसीलाल कुम्हार
   निवासीगण ग्राम निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट्स

बनाम

1. रामचन्द्र मृतक आत्मज स्व0 मथुरालाल जाति कुम्हार प्रजापत जरिये कायम मुकामान–
   1/1– बजरंगी बाई बेवा रामचन्द्र
   1/2– सत्तू प्रजापत आत्मज स्व0 रामचन्द्र
   1/3– मोहन प्रजापत आत्मज स्व0 रामचन्द्र
   1/4– शंकर प्रजापत आत्मज स्व0 रामचन्द्र
   1/5– रमेश प्रजापत आ0 स्व0 रामचन्द्र
   1/6– मुकेश प्रजापत आ0 स्व0 रामचन्द्र
   1/7– लाला प्रजापत आ0 स्व0 रामचन्द्र
   1/8– रूकमणी बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   जाति कुमार प्रजापत निवासीगण कुन्हाडी पैट्रोल पम्प के सामने आदर्श नगर बूंदी रोड कोटा–राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 6.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/2014 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान रामचन्द्र वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद मे पारित निर्णय दिनांक 12.1.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रामचन्द्र आ0 मथुरालाल ग्राम निमोदा मुख्तारआम बाबूलाल आ0 मथुरालाल के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया

कि ग्राम निमोदा मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की भूमि ख0 नं0 1648 रकबा 0.66 है0 तथा पृथक खातेदार गोविन्द आ0 सीताराम व अरिओम आ0 राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी ग्राम निमोदा हरिजी की भूमि ख0 नं0 1648 रकबा 4.63 है0 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अतः राजस्व रेकार्ड मे दोनो कृषि भूमियों का नक्शा ट्रेस पृथक कर राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 12.1.2017 से स्वीकार कर ख0 नं0 1648 के दिये गये तीन अलग–अलग खातो खाता संख्या 333 ख0 1648 रकबा 0.66 है0 खाता सं0 94 ख0 नं0 2427/1648 रकबा 2.31 है0 तथा खाता संख्या 450 ख0 नं0 2397/1648 रकबा 2.32 है0 अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम कर तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने के तहसीलदार दीगोद को आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी गोविन्दप्रसाद, हरिओम, राधेश्याम की ओर से व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे रेस्पो0 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.1.22017 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दोरान प्रकट किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 1644 रकबा 0.66 है के अन्य सहखातेदार को प्रार्थना पत्र की कार्यवाही मे आवश्यक पक्षकार होते हुये भी उन्हे पक्षकार न बनाते हुये विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे त्रुटि की है जो कानूनन मिस जोंइडर ऑफ पार्टीज व नोन जोइंडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है। दोनो खसरा नम्बरान का कुल रकबा 4.63 है0 होता है जो अपीलांट नम्बर 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त का है। बहस मे आगे प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर दिये जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जिससे विवादित आराजी वाले खातेदारान व समीपवर्ती आराजी के खातेदारान व मौके के कब्जे काश्त वाले खातेदारान है के सम्पत्तिक हक अधिकार गंभीर रूप से व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुये है। दौराने बहस यह भी प्रकट किया कि पक्षकारान मे आपसी राजीनामा हो गया है तथा रेस्पो0 को भी अपील स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नही है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रा0 पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.1.2017 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस से सहमत होते हुये पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने का कथन करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की दफा 5 के साथ पेश की है अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। जेरअपील निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.8.18 को दिये जाने व प्रकरण मे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना पारित किया जाना वर्णित करते हुये प्रश्नगत अपील पेश की गई है। रेस्पो0 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है बल्कि बहस मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अपील स्वीकार करने का कथन किया गया। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। रामचन्द्र वगेरा द्वारा विवादित खसरा नम्बरान पृथक–पृथक नक्शे मे तरमीम किये जाने बावत प्रार्थना पत्र

धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के दिनांक 12.1.2017 से स्वीकार कर ख0 नं0 1648 के दिये गये तीन अलग–अलग खाता संख्या 333 ख0 1648 रकबा 0.66 है0 खाता सं0 94 ख0 नं0 2427/1648 रकबा 2.31 है0 तथा खाता संख्या 450 ख0 नं0 2397/1648 रकबा 2.32 है0 अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम कर तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। दौराने बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.1.2017 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने संबधी अपील प्रकरण मे प्रकट किये गये अभिमत के दृष्ट्रिगत न्यायहित मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा प्रकरण सं0 5/2014 बउनवान रामचन्द्र वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 दीगोद मे पारित जेरअपील/आलौच्य निर्णय दिनांक 12.1.2017 अपास्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 6.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा